

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 जनवरी 2015—पौष 26, शक 1936

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2015

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2015

क्र. ई.-5-854-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, आयएस., अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग को दिनांक 31 दिसम्बर 2014 से 16 जनवरी 2015 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 जनवरी 2015 एवं 18 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-395-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. एम. उपाध्याय, आयएस., अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल को दिनांक 5 से 9 जनवरी 2015 तक, पांच दिन का अर्ध-वैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. एम. उपाध्याय, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एम. एम. उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एम. उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंटोनी डिसा, मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस-ब (एक) 1456-शुद्धि-पत्र.—कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रकाशित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस-ब (एक) दिनांक 11 जुलाई 2014 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र साधारण भाग-1 में दिनांक 25 जुलाई 2014 (पृष्ठ 2336 से 2349) में प्रकाशित हुई थी, के सरल क्र. 16 के कॉलम 4 के भाग (दो) में उल्लेखित शब्द “मण्डलेश्वर” के स्थान पर “महेश्वर” पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वाणी, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2014

फा. क्र. 3(ए)6-2014-इक्कीस-ब-(एक) 4218.—राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री प्रभाकांत शुक्ला, विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट, शिवपुरी को उनके द्वारा दिनांक 28 नवम्बर 2014 को प्रस्तुत सूचना-पत्र के अनुक्रम में ऑल इंडिया सर्विसेस (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनेफिट) रूल्स, 1958 के नियम 16 (2-ए) सहपठित मध्यप्रदेश जिला एवं सेशन न्यायाधीश (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनेफिट) रूल्स, 1964 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 (1) सहपठित मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम-17 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने के लिये अनुज्ञात किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 31 दिसम्बर 2014 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2015

फा. क्र. 3(बी)-2-2013-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 05) राज्य शासन, श्री विजय पाल सिंह चौहान पिता स्व. श्री मेहताब सिंह चौहान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड है. उसकी जन्मतिथि 15 अप्रैल 1976 है.

फा. क्र. 3(बी)-2-2013-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 09) राज्य शासन, श्रीमती शिखा अग्रवाल, पति श्री निर्मल कुमार अग्रवाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला श्योपुर है. उसकी जन्मतिथि 1 मार्च, 1983 है.

फा. क्र. 3(बी)-2-2013-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 19) राज्य शासन, सुश्री बिन्दु पटेल पिता श्री विजय कुमार पटेल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला कटनी है. उसकी जन्मतिथि 7 जुलाई, 1985 है.

फा. क्र. 3(बी)-2-2013-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 20) राज्य शासन, सुश्री वन्दना सोनी पिता कैलाश प्रसाद सोनी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सीधी है. उसकी जन्मतिथि 5 अप्रैल, 1985 है.

फा. क्र. 3(बी)-2-2013-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 26) राज्य शासन, सुश्री कमला अहिरवार पिता श्री शिवराम अहिरवार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला होशंगाबाद है. उसकी जन्मतिथि 22 अगस्त, 1984 है.

फा. क्र. 3(बी)-2-2013-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 36) राज्य शासन, श्री लोकेश तारन पिता श्री नन्द किशोर तारन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट है। उसकी जन्मतिथि 06 नवम्बर, 1988 है।

फा. क्र. 3(बी)-2-2013-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 38) राज्य शासन, सुश्री शीतल बघेल पिता श्री पदम सिंह बघेल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है। उसकी जन्मतिथि 27 दिसम्बर, 1987 है।

फा. क्र. 3(ए)4-2014-इक्कीस-ब(एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन एतद्वारा निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम 5(1)(ए) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) वेतनमान रुपये 51550—1230—58930—1380—63070, के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है।

1. श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्वालियर.
2. श्री बलराज कुमार पालोदा, बाईसवे, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्दौर.
3. श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम.
4. श्री प्रदीप सोनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरैना.
5. श्री विष्णु कुमार सोनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीधी.
6. श्री माखनलाल झोड़, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छिन्दवाड़ा.

7. श्री लीलाधर सोलंकी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगौन जिला मण्डलेश्वर.
8. श्री राम लक्ष्मण करोरिया, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इन्दौर.
9. श्री तरूण राकेश स्टेनली, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उमरिया.
10. श्री जगदीश चन्द राठौर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीराजपुर.
11. श्री कृपाशंकर शाक्य, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा.
12. श्री शैलेन्द्र कुमार नगोत्रा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीहोर.
13. श्री ठाकुरदास, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्योपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2015

फा. क्र. 1 (बी)-17-2012-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री रविन्द्र देव पाण्डेय पुत्र स्व. श्री गंगा प्रसाद पाण्डेय, अधिवक्ता, जिला सिंगरौली को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सिंगरौली सत्र खण्ड के सिंगरौली राजस्व जिले के लिये एतद्वारा, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला सिंगरौली नियुक्त करता है। यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है।

फा. क्र. 1 (बी)-17-2012-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री बालमुकुन्द शाह पुत्र श्री कमला प्रसाद वर्मा अधिवक्ता, जिला सिंगरौली को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सिंगरौली सत्र खण्ड के सिंगरौली राजस्व जिले के लिये एतद्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक सिंगरौली नियुक्त करता है। यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है।

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2015

फा. क्र. 1 (बी)-1-2015-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री भगवान दास राठौर पुत्र श्री मदनलाल राठौर अधिवक्ता, जिला शिवपुरी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये शिवपुरी सत्र खण्ड के शिवपुरी राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, जिला शिवपुरी **पुनर्नियुक्त** करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

टीप.—श्री भगवान दास राठौर की जन्मतिथि 2 अक्टूबर 1972 है और उनकी आयु दिनांक 1 अक्टूबर 2034 को बासठ वर्ष पूर्ण होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2015

पंजी क्र. 4028-2014-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 28 फरवरी 91 द्वारा जिला भोपाल में नियुक्त नोटरी, श्री नंद कुमार मिश्रा का दिनांक 30-9-2014 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप, उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. खेर, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 1(ए)99-08-ब-2-दो.—राज्य के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 फरवरी 2013 को निरस्त करते हुए श्री आर. एस. कौल, भापुसे, सहायक महानिरीक्षक, सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को पुलिस मुख्यालय के आदेश क्रमांक/पुमु/1/भापुसे/3866/2014, दिनांक 27 दिसम्बर 2014 द्वारा स्वीकृत दिनांक 29 दिसम्बर 2014 से 6 जनवरी 2015 तक कुल नौ दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 28 दिसम्बर 14 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक

वर्ष 2012-13 के विस्तार वर्ष 2014 में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ कन्याकुमारी (तमिलनाडू) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री आर. एस. कौल	—	स्वयं
2.	श्रीमती अनिता कौल	—	पत्नी
3.	श्री दुष्यंत कौल	—	पुत्र
4.	श्री ऋतिक कौल	—	पुत्र
5.	श्रीमती रतन देवी	—	माताजी

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री आर. एस. कौल, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2015

क्र. एफ 1(ए)27-94-ब-2-दो.—श्री आलोक रंजन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 दिसम्बर 2014 द्वारा स्वीकृत दिनांक 22 दिसम्बर 2104 से 5 जनवरी 2015 तक कुल 15 दिवस अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 के विस्तार वर्ष 2014 में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ बांधवगढ़ (उमरिया) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री आलोक रंजन	—	स्वयं
2.	श्रीमती कविता प्रसाद	—	पत्नी
3.	श्री आशय आलोक	—	पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री आलोक रंजन, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

क्र. एफ 1(ए)90-08-ब-2-दो.—श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, पुलिस सेनानी, 7वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल को पुलिस मुख्यालय के आदेश क्रमांक/पुमु/1/भापुसे/3580/2014, दिनांक 1 दिसम्बर 2014 द्वारा स्वीकृत दिनांक 15 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक कुल बीस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 के विस्तार वर्ष 2014 में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा के तहत अकेले चेन्नई (तमिलनाडू) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. 2508-2009.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा (क) नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का उसके (अनुसूची के) कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये गठन करती है, और कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात् :-

अनुसूची

अ.क्र.	बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला	जिले का नाम	सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दतिया	दतिया	1. श्रीमती ऊषा निरंजन अध्यक्ष 2. डॉ. अल्पना गुप्ता सदस्य 3. श्री चन्द्रप्रकाश तिवारी सदस्य 4. श्री तन्मय मिश्रा सदस्य 5. श्री प्रशांत भट्ट सदस्य

No. 2508-2009-14-L-2.— In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of the Section 29 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2000 the State Government hereby constitute the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the schedule below, for the District as specified in the column (3) and appoints social Workers as specified in column (4) respectively thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committees under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Child Welfare Committees & its District Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Datia	Datia	1. Smt. Usha Niranjana Chair Person 2. Dr. Alpana Gupta Member 3. Shri Chandra Prakash Tiwari Member 4. Shri Tanmay Mishra Member 5. Shri Prashant Bhatt Member

क्र. 2510-2008.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके (अनुसूची के) कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात् :-

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अलीराजपुर	अलीराजपुर	1. कु. अर्चना भिन्डे सदस्य 2. श्री रेमसिंह डोडवा सदस्य

No. 2510-2008--L-2-14.— In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2000 the State Government hereby constitute the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below, for the District as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Alirajpur	Alirajpur	1. Ku. Archana Bhide Member 2. Shri Remsingh Dodawa Member

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनी उईके, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2015

क्र. 174-2176-14-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके (अनुसूची के) कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	धार	धार	1. श्रीमती मिताली प्रधान सदस्य 2. श्री गगन मुद्गल सदस्य

No. 174-2176-14-L-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 the State Government hereby Constitute the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below, for the District as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dhar	Dhar	1. Smt. Mitali Pradhan Member 2. Shri Gagan Mudgal Member

क्र. 174-2176-14-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, (क) नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके (अनुसूची के) कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये गठन करती है, और कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला	जिले का नाम	सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धार	धार	1. श्री दिलीप पटोंदिया अध्यक्ष 2. श्री नवीन भंवर सदस्य 3. श्री राकेश दुर्गेश्वर सदस्य 4. श्रीमती रीना उपाध्याय सदस्य 5. श्री शिवराम मुवेल सदस्य

No. 174-2176-14-L-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 29 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2000 the State Government hereby Constitute the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the schedule below, for the District as specified in the column (3) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively, thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committees under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Child Welfare Committees & its District Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dhar	Dhar	1. Shri Dilip Patondia Chair Person 2. Shri Naveen Bhanwar Member 3. Shri Rakesh Durgeshwar Member 4. Smt. Rina Upadhyay Member 5. Shri Shivram Muwal Member

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रज्ञा औरंगाबादकर, अवर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. 3186.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील राघौगढ़, जिला गुना के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(1)	(2)

धरनावदा-3
रकबा 212.848 हेक्टर.

लक्ष्मणपुरा-3

क्र. 3187.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील आरोन, जिला गुना के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(1)	(2)

कुदोली-42
रकबा 305.614 हेक्टर.

परांसरी-42

श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2015

क्र. 64-3916-2014-सात-2ए.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 17 की उपधारा (2) के अन्तर्गत श्री सिकलचन्द परस्ते संयुक्त कलेक्टर, बालाघाट को जिले में अपर कलेक्टर की शक्तियां प्रवृत्त करता है. श्री परस्ते संयुक्त कलेक्टर को उनकी बालाघाट जिले में पदस्थापना अवधि अथवा अपर कलेक्टर की पदस्थापना होने तक यह अधिसूचना प्रभावशील रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, अवर सचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2015

क्र. एफ. 9-2-2006-58.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेन्डम एन्ड आर्टिकल ऑफ ऐसोएशन के आर्टिकल्स-74 (ए) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री प्रदीप उपाध्याय, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल को पुनः सदस्य तथा श्री महेन्द्र सिंह धाकड़, संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल को श्री अनुराग श्रीवास्तव, तत्कालीन संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के स्थान पर निगम के संचालक मण्डल में सदस्य मनोनीत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. आर. काटवाले, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र.9778-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—घंसौर
(ग) ग्राम—मेहता प.ह.नं.-28
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.32 हेक्टर.

खसरा नं. अशासकीय (1)	अर्जित रकबा भूमि (हे. में.) (2)
283/1	0.02
283/2	0.05
283/3	0.07
283/4	0.14
284/4	0.04
योग . . .	0.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा दिनांक 6 जनवरी 2015

क्र. 02-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

खसरा क्रमाकों की भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि रकबा की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि के अर्जन की आवश्यकता है:—

पूरक अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योथर
(ग) ग्राम—चाकघाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.267 हे.

खसरा नं. (1)	अर्जित रकबा (हे. में.) (2)	भूमि की स्थिति (3)
285/17/3	0.001	मकान
285/11	0.020	भूखण्ड
383/1	0.007	भूखण्ड
382/1/1	0.173	भूखण्ड
383/2क1	0.030	भूखण्ड
382/1/3	0.030	भूखण्ड
382/2क2	0.029	भूखण्ड
382/1/6	0.030	भूखण्ड
382/2क3	0.030	भूखण्ड
382/1/7	0.030	भूखण्ड
382/1/2	0.030	भूखण्ड
382/1/4	0.030	भूखण्ड
382/1/5	0.030	भूखण्ड
382/1/8	0.030	भूखण्ड
379/2क2	0.028	भूखण्ड
379/2क3	0.028	भूखण्ड
382/1/9	0.030	भूखण्ड
523/2/412	0.028	मकान
382/2	0.010	भूखण्ड
523/6/412	0.028	भूखण्ड
380/14	0.020	भूखण्ड
285/9/1	0.016	भूखण्ड
523/2/412/2	0.012	मकान
523/2/412/3	0.007	मकान
380/11	0.017	भूखण्ड
380/12	0.017	मकान

(1)	(2)	(3)
523/7/412	0.012	भूखण्ड
380/13	0.017	मकान
523/8/412	0.012	भूखण्ड
289/1/4	0.016	भूखण्ड
289/1/9	0.008	भूखण्ड
289/1/3	0.004	भूखण्ड
289/3	0.005	भूखण्ड
289/1/6	0.008	भूखण्ड
289/1/5	0.007	भूखण्ड
289/1/2	0.015	भूखण्ड
290/1/1	0.002	भूखण्ड
368/5/1	0.008	भूखण्ड
368/5/2	0.008	भूखण्ड
288/3	0.005	भूखण्ड
288/4	0.005	भूखण्ड
288/5	0.005	भूखण्ड
288/6	0.005	भूखण्ड
285/3छ/2	0.011	भूखण्ड
311/3	0.003	मकान
384/3	0.040	सिंचित
384/4/1	0.010	सिंचित
384/4/2	0.010	सिंचित
379/2क1	0.028	भूखण्ड
379/2क4	0.028	भूखण्ड
285/9/2	0.016	भूखण्ड
285/3श	0.054	भूखण्ड
285/13	0.049	असिंचित
286/1	0.032	
285/3भ	0.024	
285/3थ	0.007	
381/9	0.010	
288/1	0.044	
380/15	0.010	
313/1	0.008	
योग . . .		1.267

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा),
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 7 जनवरी 2015

क्र. 159-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (उमरेड़ तालाब सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि के पूरक प्रकरण) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—ब्यावरा
(ग) ग्राम—उमरेड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.930 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

ग्राम—पालाबे 0.244 हेक्टेयर

16/1	0.883
2/7/1	0.466
16/2	1.256
2/7/2	0.560
9/1	0.166
9/2	0.166
9/3	0.152
9/4	0.342
11/2	0.100
11/3	0.408
14/3	0.100
14/4	0.200
14/5	0.392
57/5	0.100
46/2	0.379
57/3	1.081
60	0.078
69	0.100
75	0.850

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रीवा इलाहाबाद मार्ग में एन.एच. 27 पर बार्डर चेक पोस्ट निर्माण हेतु चॉकघाट में.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(1)	(2)	(1)	(2)
74/4	0.100	96/1	0.048
66/5	0.051	96/2	
	योग . . . 7.930	187/1	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—उमरेड़ तालाब सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि के पूरक प्रकरण हेतु.		187/2	
		187/2क	
		187/2/ख	0.717
		187/3	
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.		187/4	
		187/5	
		187/6	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 1.947

(ब) म. प्र. शासन की भूमि

94	0.106
188	
188/1	2.483
188/2	

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 2.589
अ+ब का योग . . . 4.536

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 9 जनवरी 2015

पत्र क्र. 17-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—निमहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.536 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

95	0.188
97/1	
97/2	
97/3/क	0.994
97/3/ख	

पत्र क्र. 19-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन

		(1)	(2)
(ग) ग्राम—भड़री			
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.647 हेक्टेयर.		169	
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	169/1	
		169/2	0.134
(1)	(2)	169/3	
(अ) निजी पट्टे की भूमि		169/4	
100	0.070	168	0.004
101	0.156	167/1	0.137
101/2		167/2	
193/1/क		166	0.020
193/1/ख		164	0.096
193/1/ग	0.019	165	0.085
193/1/घ		163	0.068
193/2		161/1	0.083
102	0.032	161/2	
102/2		162	0.101
103/1		160/1	0.043
103/2		160/2	
103/3		160/3	
103/4	0.132	160/4	
103/5		अ—निजी पट्टे की भूमि का योग. . <u>2.533</u>	
103/6		ब—म. प्र. शासन की भूमि	
105	0.190	177	0.051
91/1		8/1	0.063
91/2	0.054	ब—म. प्र. शासन की भूमि का योग . <u>0.114</u>	
91/3		अ+ब का योग. . <u>2.647</u>	
91/4		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती	
91/5		मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/	
106/1	0.275	शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
106/2		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं	
108/1	0.040	पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया	
108/2		जा सकता है.	
108/3		पत्र क्र. 21-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस	
107	0.110	बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में	
113	0.048	वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक	
110	0.149	प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और	
109	0.072	पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,	
111	0.127	2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि	
176	0.068	निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु	
146	0.012	आवश्यकता है:—	
145/1	0.090	अनुसूची	
145/2		(1) भूमि का वर्णन—	
175/1/क		(क) जिला—सतना	
175/1/ख	0.118	(ख) तहसील—अमरपाटन	
175/2			

(ग) ग्राम—जमुनिया बांध

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.697 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टर में)

(1) (2)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

32	0.561
33	0.371
35	0.068
40/67	0.098
40/1/क	
40/1/ख	
40/2/क	0.218
40/2/ख	
40/3	
37/1	0.036
37/2	
38	0.028
39/1/क	
39/1/ख	
39/2/क	0.118
39/2/ख	
39/3	
67	0.099
59	0.017
1/2	0.050
1/2/2	

अ—निजी पट्टे की भूमि का योग. . 1.664

ब—म. प्र. शासन की भूमि

34 0.033

ब—म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.033

अ+ब का योग. . 1.697

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—रामगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.809 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टर में)
(1) (2)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

594/1/क	
594/1/ख	0.017
594/2/क	
594/2/ख	
483/1	
483/1/क	
483/1/ख	0.103
483/2/क	
483/2/ख	
261/1	0.036
261/2	
260	0.008
263	0.102
264/1	0.099
264/2	
480	0.194
298	0.131
295	0.072
296	0.003
294	0.063
270	0.001
284 शामिल नं. 274 में	0.002
293 शामिल नं. 274	0.003
299	0.570
300/1	
300/2/क	0.073
300/2/ख	
301	0.065
305/1	
305/2	0.767
305/3	
305/4	

पत्र क्र. 23-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक

(1)	(2)	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
		(1)	(2)
310/1			
310/2			
310/3			
310/4/क		323	0.013
310/4/ख	0.094	325/1	0.045
310/4/ग		325/2	
310/5		321/1	0.150
311	0.101	321/2	
312	0.040	326	0.001
313	0.042	320	0.296
189/1	0.031	319/1	
189/2		319/2/क	0.196
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>2.617</u>	319/2/ख	
		318	0.030
ब—म. प्र. शासन की भूमि		317	0.122
314	0.039	361	0.072
318	0.001	315/1	0.001
262	0.152	315/2	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.192</u>	316/1/क	0.098
अ+ब का योग . .	<u>2.809</u>	316/1/ख	
		316/2	0.053
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती		311/1	0.046
मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/		365	0.206
शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		370/1	0.012
		370/2	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं		366	0.116
पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया		310	0.018
जा सकता है.		308	0.192
		306	0.233
पत्र क्र. 25-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस		302	0.005
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में		297	0.215
वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक		301/1	0.021
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और		299	0.115
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,		300/1	0.174
2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि		11/1	0.019
निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु		7/1	0.022
आवश्यकता है:—		7/2	
		10	0.020
अनुसूची		8	0.541
(1) भूमि का वर्णन—		9	0.219
(क) जिला—सतना		322	0.003
(ख) तहसील—अमरपाटन		305/1	0.001
(ग) ग्राम—मगराज			
(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.773 हेक्टेयर.			
		अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>3.255</u>

(1)	(2)	(1)	(2)
ब—म. प्र. शासन की भूमि		243/375	0.094
324/777	0.096	298/355	0.103
324	0.070	298/354	0.094
307	0.042	342/1	0.016
1	0.310	342/2	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.518	298	0.089
अ+ब का योग. .	3.773	297	0.028
		292	0.293
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति का अर्जन हेतु.		291	0.038
		284 का शामिल नं. 274	0.012
		285 का शामिल नं. 274	0.205
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		286	0.060
		289	0.019
		313/1	
		313/1/ख	0.252
		313/2	
		314	0.189
		270/1	
		270/1/क	
		270/1/ख	0.007
		270/1/ग	
		270/2	
		315	0.083
		317	0.028
		316	0.001
		318/1	0.113
		318/2	
		267/1/क/1	
		267/1/क/2	
		267/1/ख	0.020
		267/2	
		267/371	
		अ—निजी पट्टे की भूमि का योग. .	2.455
		ब—म. प्र. शासन की भूमि	
		347	0.065
		म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.065
		अ+ब का योग. .	2.520
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति का अर्जन हेतु.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
(1)	(2)		
(अ) निजी पट्टे की भूमि			
243/375	0.094		
240	0.007		
243/1/क			
243/1/ख/1			
243/1/ख/2			
243/2			
243/3	0.610		
243/4			
243/5			
243/6			
243/7			

पत्र क्र. 29-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—भड़रा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.480 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हे. में)
(1) (2)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

946/1	0.177
946/2	
947/1	
947/2	0.241
947/3	
948/1	
948/2	
948/3	
948/3/ख	0.276
948/3/ग	
948/3/घ	
949/1	
949/2	0.153
949/3/1	
949/3/2	
950/1	
950/2	0.135
950/3	
955/2	0.225
955/3	
1011	0.073
1012	0.223
1034/1	0.031
1034/2	

(1)	(2)
1014	0.026
1015	0.032
1033/1	
1033/2	0.270
1033/3	
1031/1	0.057
1031/2	
1026	
1026/2	
1026/3/1	
1026/3/2	0.300
1026/4	
1026/5	
1026/6	
1026/7	
1025/1	
1025/2	0.097
1025/3	
1024/1	
1024/2	0.090
1024/3	

अ—निजी पट्टे की भूमि का योग. . . 2.406

ब—म. प्र. शासन की भूमि

1019	0.021
944/1059	0.053
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.074</u>
अ+ब का योग. .	<u>2.480</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति का अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 31-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,

2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

	(1)	(2)
	755	0.159
	749	0.096
	754	0.326
	792	0.031
	793/1	0.252
	793/2	
(1) भूमि का वर्णन—	795/1	0.250
(क) जिला—सतना	795/2	
(ख) तहसील—अमरपाटन	796	0.202
(ग) ग्राम—मझगवां	805	0.167
(घ) लगभग क्षेत्रफल —7.787 हेक्टेयर.	808	0.088
खसरा नं.	996/1	0.011
	996/2	
(1)	995/1	0.013
	995/2	
(अ) निजी पट्टे की भूमि	994/1	0.440
1047/1	994/2	
1047/2	991	0.003
1047/2/घ	992	0.111
1048/1	993/1	
1048/2	993/2/1	
1049/1क	993/2/2	0.063
1049/1ख	993/3	
1049/1ख/1	993/4	
1049/2	988	0.022
1045/4	987	0.155
1046	986	0.050
1044	984/1	0.182
1043/1	984/2	
1043/2	985	0.164
1043/3	873	0.031
1043/4	874	0.165
1043/5	876/1	0.364
1042	876/2	
1042/1/ज	592/1/1	
737/1	592/1/2	
737/1घ	592/2	
737/1ङ	593/3	0.279
737/1ज	592/4	
737/2	592/5	
742	590	0.175
743	589	0.037
741/1/क	587	0.061
741/1/ख		
741/2		

(1)	(2)	2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	
586/1		अनुसूची	
586/2	0.034		
586/1066		(1) भूमि का वर्णन—	
595/1	0.231		
595/2		(क) जिला—सतना	
596/1	0.098		
596/2		(ख) तहसील—अमरपाटन	
621/1059/1			
621/1059/2	0.188	(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.908 हेक्टेयर.	
621/1059/3			
621/1059/4			(हे. में)
598/1	0.005	(1)	(2)
598/2		(अ) निजी पट्टे की भूमि	
599	0.149		
599/4		352/1	
616	0.030	352/1/क	
620	0.278	352/1/क/2	मेड़ 0.035
619	0.191	352/1/ख	
629	0.006	352/1/ग	
630/1		352/2	
630/2	0.111	352/3	मेड़
631/1		351/1/क	
631/2/1	0.245	351/1/ख	
631/2/2		351/1/ग	0.570
632/1	0.210	351/1/घ	
632/1		351/2	
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>7.478</u>	351/3	
ब—म. प्र. शासन की भूमि		346	0.198
1028	0.309	343	0.159
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.309</u>	347/1	0.053
अ+ब का योग . .	<u>7.787</u>	347/2	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती		342	0.125
मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/		340	0.004
शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति का अर्जन हेतु,		341	0.028
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं		333	0.066
पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया		331	0.068
जा सकता है.		330	0.063
		329	0.073
		325 शा.नं. 324 में	0.051
		324	0.133
		323/1	0.017
		322/1	0.288
		321/1	0.013
		425	0.320

क्र. 33-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,

(1)	(2)	(1)	(2)
426	0.029	235/1/ख	
427/1	0.079	235/2	0.331
427/2		235/3	
288/1	0.031	235/4	
288/2		235/5	
287		240/1	0.026
287/1क	0.193	240/2	
287/2		184	0.154
287/3/क		182	0.130
429/1/क		178	0.113
429/2	0.013	173	0.001
286	0.039	179	
286/58		179/2	0.035
285/1		174/1	
285/2	0.037	174/2	0.182
285/3		174/3	
284	0.096	175/1	0.020
284/2		175/2	
280	0.204	156/1	
279/1	0.117	156/2	0.041
279/3		156/3	
233/1		156/4	
233/2		157/1	0.072
233/3	0.144	157/2	
233/4		155/1	
249/662	0.070	155/2	0.045
248	0.098	155/3	
234/1		155/4	
234/2		158/1	0.136
234/3	0.009	158/2	
234/4		129	0.194
234/5/क		126	
234/5/ख		126/1/1	0.219
237/1		126/1/2	
237/2	0.031	126/1/3	
237/3		127	
237/4		127/1/1	0.017
237/5		127/1/2	
236/1		127/1/3	
236/2	0.114	122/1/क	
236/3		122/1/ख	
236/4		122/1/ग	
236/5		122/1/घ	
235/1/क		122/2/क	

(1)	(2)	(1)	(2)
122/2/ख		373/1/ख/1	0.590
122/3		373/1/ख/2	
122/4		373/2	
122/5	0.569	397/1	
122/6		397/2	0.346
122/7		397/3	
122/8		397/4	
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>5.709</u>	398	0.215
ब—म. प्र. शासन की भूमि		440/1/क	
290	0.031	440/1/ख	
183	0.017	440/1/ग	
172	0.002	440/2	1.162
177	0.042	440/2/2	
176	0.032	440/2/3	
123	0.075	440/2/4	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.199</u>	441/1/क/1/क	
अ+ब का योग . .	<u>5.908</u>	441/1/क/2	
		441/1/ख	0.580
		441/1/ग	
		441/1/घ	
		441/2	
		441/2/2	
		441/2/3	
		441/2/4	
		442/1/क	
		442/1/ख	1.094
		442/1/ग	
		अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>3.987</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 35-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
 (ख) तहसील—अमरपाटन
 (ग) ग्राम—ललितपुर नं. 1
 (घ) लगभग क्षेत्रफल —7.523 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
 (हेक्टर में)

(1) (2)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

373/1/क

ब—म. प्र. शासन की भूमि

368	0.888
365	0.050
377	0.047
372	0.123
457	0.869
450	1.477
442/485	0.082

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .

अ+ब का योग . .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 37-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—आनन्दगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.505 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

454/1	
454/1/ख	
454/1/ग	
454/2	
454/3/क	0.422
454/3/ख	
454/3/ग	
454/3/घ	
454/3/ङ	
459/1/क	
459/1/ख	
459/1/ग	1.639
459/1/घ	
459/1/ङ	
459/2	
486/1	
486/2/क	0.962
486/2/ख	
486/3	

अ—निजी पट्टे की भूमि का योग. . . 3.023

ब—म. प्र. शासन की भूमि

453/491/1	0.438
453/491/2	
453/1	0.032
453/2	
488/1	0.442
488/2	

(1)	(2)
452	0.053
460	0.093
487	1.424
म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	<u>2.482</u>
अ+ब का योग. . .	<u>5.505</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति का अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 39-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—मौहारी कटरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.978 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

1449	0.189
1461	0.031
1450	0.211
1459	0.026
1458	0.065
1457	0.349
1452	0.027
1454	0.061
1456	0.019
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग. . .	<u>0.978</u>

(ब)—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	<u>0.000</u>
अ+ब का योग. . .	<u>0.978</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति का अर्जन हेतु.	(1)	(2)
	551/1	
	551/2	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	551/3	
	551/4	
	551/5	0.472
	551/6	
	551/7	
	551/8	
	551/9	
	528	
	528/1	0.104
	528/1/ख	
	528/2	
	527	0.183
	525/1/क	
	525/1/ख	0.011
	525/2	
	525/3	
	630	0.094
	526/1/क	
	526/1/ख	
	526/1/ग	
	526/1/घ	0.195
	526/2	
	526/3/1	
	526/4	
	631/1/क	
	631/1/ख	0.165
	631/1/ग	
	631/1/घ	
	631/2	
	645	0.043
	644	0.285
	643/1	0.087
	643/2	
	647/1	0.033
	647/2	
	648/1	
	648/2	0.308
	648/3	
	650/1	
	650/2/1	0.036
	650/2/2	
	536	0.257
	549	0.008
	550/1	0.294
	550/2	

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—अमरपाटन

(ग) ग्राम—इटमा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.952 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टर में)

(1)

(2)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

563/1

563/2

563/3/क

563/3/ख

563/3/ग

546

547

562/1

562/2

562/3/क

562/3/ख

562/3/ग

548/1

548/2/क

548/2/ख

548/2/ग

536

549

550/1

550/2

0.169

0.003

0.029

0.106

0.706

0.257

0.008

0.294

(1)	(2)	(1)	(2)
665/1		535/1	
665/2	0.145	535/2/क	0.003
665/3		535/2/ख	
665/4		535/2/ग	
665/1156/1		अ—निजी पट्टे की भूमि का योग .	<u>4.519</u>
665/1156/2		ब—म. प्र. शासन की भूमि	
665/1156/3	0.068	629	0.005
665/1156/4		666	0.021
664/1		723	0.052
664/2/क	0.095	722	0.165
664/2/ख		721	0.190
664/2/ग		म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.433</u>
668	0.194	अ+ब का योग . .	<u>4.952</u>
669/1		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती	
669/2	0.100	मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/	
670/1		शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
670/2	0.067	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं	
672/1		पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया	
672/2		जा सकता है.	
672/3	0.517	पत्र क्र. 43-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस	
672/4		बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में	
672/5/1		वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक	
672/5/2		प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और	
678/1		पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,	
678/2	0.070	2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि	
678/1148		निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु	
677		आवश्यकता है:—	
677/1	0.029		
677/2			
679	0.096		
680	0.004		
1147 शामिल नं.719	0.044		
725	0.051		
718			
718/1122/1/क			
718/1122/1/ख			
718/1122/2	0.110		
718/1122/3			
718/1122/4			
718/1122/5			
743	0.142		
744	0.017		
745	0.080		

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
 (ख) तहसील—अमरपाटन
 (ग) ग्राम—नौसा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल —2.014

खसरा नं. अर्जित रकबा
 (हेक्टर में)

(1) (2)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

70/460 0.008
 126/1 0.128

(1)	(2)	(2)
70/1		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
70/2		
70/1		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
70/2		
70/3	0.229	
70/4		
70/5		
70/6		
70/7		
125/1	0.024	
125/2	0.121	
125/3	0.024	
100/1	0.015	
100/2	0.054	
101		
101/1	0.165	
101/1/2		
101/1/3		
101/2		
98/2	0.009	
102	0.071	
103	0.105	
104	0.049	
106	0.056	
94/2/1		
94/2/2	0.002	
94/2/3		
107	0.120	
113	0.044	
110	0.001	
111	0.040	
112	0.108	
87	0.014	
187	0.388	
189	0.008	
193/1		
193/2/क	0.139	
193/2/ख		
192	0.146	
198	0.002	
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>1.905</u>	
ब—म. प्र. शासन की भूमि		
109	0.010	
188	0.099	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.109</u>	
अ+ब का योग . .	<u>2.014</u>	
		पत्र क्र. 45-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—
		अनुसूची
		(1) भूमि का वर्णन—
		(क) जिला—सतना
		(ख) तहसील—अमरपाटन
		(ग) ग्राम—धुइसा
		(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.146 हेक्टर.
		खसरा नं. अर्जित रकबा
		(हेक्टर में)
		(1) (2)
		(अ) निजी पट्टे की भूमि
		437 0.190
		433 0.010
		434 0.020
		239 0.002
		436/1/क
		436/1/ख 0.046
		436/2
		436/3
		431 0.064
		88 0.051
		429/1/1 0.05
		429/2
		430/1/1
		430/2 0.231
		430/3
		93 0.016
		94 0.032
		98/1 0.012
		98/2

(1)	(2)	(1)	(2)
97/1	0.124	217	0.312
97/2		218	0.139
95	0.035	219/1	
92	0.002	219/2	0.034
96	0.049	214/923/1	
103/1		214/923/2	0.240
103/2	0.021	214/923/3	
103/3		214/1/क	
99	0.002	214/1/ख	
102/1		214/2	0.336
102/2	0.070	214/3	
102/5		214/4	
101/1		210	0.015
101/2	0.004	211	0.249
101/4		288	0.001
101/5		212	0.026
104	0.034	अ—निजी पट्टे की भूमि का योग .	<u>3.993</u>
105	0.010		
106	0.020	ब—म. प्र. शासन की भूमि	
304/1		293	0.027
304/2	0.135	213	0.126
304/3		म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.153</u>
305	0.153	अ+ब का योग . .	<u>4.146</u>
308/1			
308/2	0.009	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती	
308/3		मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/	
308/4		शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
303/1	0.204	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं	
303/2		पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया	
291	0.038	जा सकता है.	
292/1			
292/2	0.144		
292/3			
286	0.145	पत्र क्र. 47-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को	
287/2	0.162	इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)	
287/3		में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक	
238/1	0.166	प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और	
238/2		पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,	
237/1		2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि	
237/2	0.128	निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु	
229	0.159	आवश्यकता है:—	
288/1			
228/2	0.125		
227/1/1			
227/1/2			
227/2	0.023		
227/3			

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—अमरपाटन

(ग) ग्राम—ककलपुर	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल —6.734 हेक्टेयर		
खसरा नं.	अर्जित रकबा	
	(हेक्टर में)	
(1)	(2)	
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
195/1/क		74
195/1/ख/2	0.156	81
195/2		81/2
197	0.157	80
200/1		79
200/5/3	0.391	37/1
201	0.121	37/2
1725/1	0.031	84
1722	0.103	36
207	0.150	85/1/क/1
1721	0.028	85/1/क/1/3
1717/2		85/1/क/2
1717/2/2	0.217	85/1/ख
1720	0.009	85/1/ख/1
1718	0.330	85/2
1719/1/क	0.140	85/3/1
1719/2		85/3/2
17115	0.144	85/5
208	0.003	85/6/1
219/1	0.441	85/6/2
219/2		85/6/3
218	0.236	
308	0.078	
309	0.045	
310	0.343	
317	0.033	
318/1		
318/2	0.398	
318/3		
316	0.026	
321/1		
321/2	0.007	
315	0.293	
314	0.156	
313/1	0.130	
313/2		
53	0.236	
52/1		
52/2	0.186	
51	0.196	
72	0.143	
75	0.392	
73/1		
73/2	0.029	
82 शामिल नं. 74	0.003	
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग. . .		
<u>6.673</u>		
ब—म. प्र. शासन की भूमि		
196		
0.061		
म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .		
<u>0.061</u>		
अ+ब का योग. . .		
<u>6.734</u>		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		
पत्र क्र. 49-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		
अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—सतना		
(ख) तहसील—अमरपाटन		
(ग) ग्राम—महुड़र		
(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.414 हेक्टेयर		

(1)	(2)	(1)	(2)
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	486	0.103
		485	0.018
(1)	(2)	490	0.106
(अ) निजी पट्टे की भूमि		491	
834		491/1	
834/1	0.138	491/2	0.120
834/2		491/3	
834/4		551	0.087
833		550	0.181
833/1	0.046	559/1	0.100
833/2		559/2	
833/4		598	0.037
477/1/1		611	0.511
477/1/2		610	0.006
477/1/4	0.352	609	0.141
477/2		616	0.409
477/4		599	
477/5		599/2/क	0.022
476/1/1		599/2/ख	
476/1/2		693	0.380
476/1/4	0.158	692	0.132
476/2		690	0.209
476/4		689	0.029
476/5		684	0.230
831/1	0.051	682	0.012
831/1/1		677/1	0.329
831/1/2		677/2	
831/1/4		615/1	0.144
831/2		615/2	
478		676	0.096
478/1/1	0.020	675/1	0.020
478/1/2		675/2	
478/1/4		673	0.060
482/1		657	0.032
482/1/क	0.182	656	0.183
482/1/ख		674	0.040
482/1/ग		658	0.051
482/2/1		अ-निजी पट्टे की भूमि का योग. . . <u>5.337</u>	
482/2/2		ब-म. प्र. शासन की भूमि	
479		558	0.077
479/1	0.176	म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . <u>0.077</u>	
479/2		अ+ब का योग. . . <u>5.414</u>	
479/3			
480/1	0.051	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती	
480/2		मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/	
481/1	0.012	शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
481/2		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं	
487/1		पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया	
487/2	0.363	जा सकता है.	
487/3			

पत्र क्र. 51-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—अमरपाटन

(ग) ग्राम—रूहिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.656 हेक्टर

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

अ निजी पट्टे की भूमि

232/624	0.081	428/1	
228/1		428/2	
228/2	0.030	428/3	
228/3		428/3/क/1	
228/4		428/3/क/2	0.109
229	0.165	428/3/ख	
226/1	0.211	428/4	
226/2		428/619	
225/1	0.113	400	0.065
225/2		398/614	0.052
224	0.006	399	0.001
219	0.030	403	0.119
220	0.141	395/1	0.043
221	0.001	395/2	
218/1		408	0.021
218/2	0.146	407	0.113
218/3		411	0.012
217	0.030	422	0.126
132/1	0.018	421	0.003
132/2		421/2	
130/1	0.050	420	0.106
130/2		434	0.054
128/1		436	0.058
128/2	0.084	417	0.039
128/3		443	0.112
129	0.010	479/1	
		479/2	0.282
		479/3	

(1)	(2)	निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	
479/4		अनुसूची	
479/5		(1) भूमि का वर्णन—	
479/6		(क) जिला—सतना	
478/1		(ख) तहसील—अमरपाटन	
478/2		(ग) ग्राम—शाह	
478/3	0.082	(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.980 हेक्टर	
478/4		खसरा नं.	अर्जित रकबा
478/5			(हे. में)
478/6		(1)	(2)
477	0.336	अ-निजी पट्टे की भूमि	
480/1		219	0.185
480/2		219/634	0.061
480/3	0.070	220	0.012
480/4		217	0.100
480/5		216	0.163
482	0.203	231	0.139
233	0.016	232	0.241
409	0.017	236/1/क	
481/1	0.002	236/1/ख	
481/2		236/2	
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>4.548</u>	236/3	0.069
ब-म. प्र. शासन की भूमि		236/3/1	
131	0.030	236/3/2	
404	0.043	236/3/3	
435	0.035	237/1	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.108</u>	237/2	
अ + ब का योग . .	<u>4.656</u>	237/3/1	0.053
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		237/3/2	
		237/3/3	
		230	0.006
		235	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		235/2	0.063
		235/2/2	
		571	0.108
		571/2	
		570	0.090
		569	0.131
		573	0.031
		574	0.008
		568	0.041
		568/2	
		567	0.047

पत्र क्र. 53-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि

(1)	(2)	(1)	(2)
564	0.037	ब—म. प्र. शासन की भूमि	
566	0.047	565	0.041
563	0.042	532	0.138
292	0.150	525	0.040
560	0.311	233	0.002
560/2		म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.221</u>
572/1	0.004	अ + ब का योग . .	<u>3.980</u>
572/2			
321		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
321/1/क	0.059	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
321/1/ग			
322			
322/1/क	0.111		
322/1/ग			
324/1/क			
324/1/ख	0.214		
324/2			
324/5			
323	0.028		
330	0.003		
353	0.024		
352	0.017		
348	0.164		
347	0.036		
346	0.002		
350	0.052		
349	0.021		
344	0.076		
345/1			
345/2	0.128		
345/3			
345/4			
343	0.146	खसरा नं.	अर्जित रकबा
526	0.053		(हे. में)
519/1	0.055	(1)	(2)
519/2			
518	0.001	अ-निजी पट्टे की भूमि	
522	0.005	89	
528	0.038	89/1/क	0.219
527	0.254	89/2	
533/1	0.133	17	0.059
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>3.759</u>	16	0.001
		16/2	

(1)	(2)	निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—
		अनुसूची
88		(1) भूमि का वर्णन—
88/1		(क) जिला—सतना
88/1/घ		(ख) तहसील—अमरपाटन
88/1/ङ	0.359	(ग) ग्राम—पगरा
88/2/क		(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.900 हेक्टर.
88/2/ख		
19/1	0.045	खसरा नं.
19/2		अर्जित रकबा
20	0.087	(हे. में)
21	0.028	(1) (2)
22	0.054	अ-निजी पट्टे की भूमि
36/1	0.034	337/1
36/2		337/2
42	0.056	338/1
38	0.144	338/2/क
41	0.055	338/2/ख
40	0.053	948
39	0.040	945
33	0.001	943
32	0.009	943/1
56	0.081	943/2
57	0.006	943/3
58	0.005	944/1
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग. .	1.408	944/2
		941
ब—म. प्र. शासन की भूमि		351/1
		351/2
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000	352
अ +ब का योग. .	1.408	353
		339/1
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती		339/2
मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली		339/2/क
निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के		339/2/ग
अर्जन हेतु.		355
		355/2
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं		355/3
पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया		326
जा सकता है.		325
		323/1
		323/2
		157
		124/1
		124/2
		124/2/ख

पत्र क्र. 57-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि

(1)	(2)	(2)
125/1	0.035	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
125/2		
123	0.006	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
126	0.101	
84/1/क		
84/1/ख	0.138	
84/2		
354	0.011	पत्र क्र. 59-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—
324/1		
324/2/1		
324/2/2		
324/2/3		
324/2/4/1	0.042	
324/2/4/2		
324/2/4/3		
324/2/5		
127	0.004	
83	0.019	
86/1	0.015	
86/2		
90	0.053	
79/1	0.040	
79/2		
65/1		
65/2	0.022	
65/3		
91/1/क		
91/1/ख	0.041	
91/2		
64/1	0.330	
64/2		
85/1		
85/2	0.178	
85/3		
81	0.003	
95/1		
95/2	0.002	
95/3		
122	0.022	
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>3.863</u>	
ब—म. प्र. शासन की भूमि		
947	0.037	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.037</u>	
अ + ब का योग . .	<u>3.900</u>	
		अनुसूची
		(1) भूमि का वर्णन—
		(क) जिला—सतना
		(ख) तहसील—अमरपाटन
		(ग) ग्राम—ताला
		(घ) लगभग क्षेत्रफल —11.516 हेक्टर.
		खसरा नं.
		अर्जित रकबा
		(हे. में)
		(1)
		(2)
		अ-निजी पट्टे की भूमि
		2348/1/1/ख
		2348/1/2
		2348/1/क/1
		2348/2/1
		2348/2/2
		2350
		2351
		2352
		2353
		2354
		2366
		2368
		2375/1
		2375/2
		2375/3
		2379/1
		2379/2
		2379/3
		0.383
		0.331
		0.331
		0.028
		0.150
		0.243
		0.145
		0.192
		0.314
		0.213
		0.072

(1)	(2)	(1)	(2)
2380	0.032	3425	0.033
3306	0.127	3426	0.042
2367	0.142	3427	0.043
3307	0.127	3434	0.018
3308	0.077	3437	0.076
3311/1	0.087	3436	0.140
3311/2		3561/1/क/1	
3317	0.047	3561/1/क/2	
3318	0.068	3561/1/ख	
3319	0.055	3561/1/घ	
3320	0.012	3561/1/ङ	0.311
3336/1		3561/2/क/1	
3336/2	0.141	3561/2/क/2	
3336/3		3561/2/ख	
3336/4		3560/1/क	
3337	0.163	3560/1/ख	0.223
3339	0.209	3560/2	
3340	0.103	3559/1/क	
3343	0.088	3559/1/ख	0.030
3346	0.167	3559/2	
3348	0.090	3567/1	
3305	0.063	3567/2	
3349	0.108	3567/2/क	0.460
3396	0.098	3567/2/ख	
3563/1/क		3567/2/ग	
3563/1/ख		3567/2/घ	
3563/2/1		4756	1.729
3563/2/2	0.110	4754	0.317
3563/2/2/1		4758	0.118
3563/2/2/2		4753	0.077
3407	0.012	4760/1	0.036
3406	0.062	4760/2	
3410	0.083	4701	0.048
3408	0.077	4761/1	
3409	0.082	4761/2/क/1	
3411/1	0.026	4761/2/क/2	
3411/2		4761/2/ख/1	
3412		4761/2/ख/2	
3412/1	0.190	4761/2/ग/1	0056
3412/2		4761/2/ग/2	
3431	0.066	4761/2/घ/1	
3430	0.022	4761/2/घ/2	
2368	0.173	4761/2/ङ/1	
3428	0.190	4761/2/ङ/2	

(1)	(2)	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
4699/1		
4699/2		
4699/2/ख	0.071	
4699/3		
4699/3/क		
4698/1		
4698/2	0.161	
4698/3		
4696/1		
4696/2		
4696/3	0.090	
4696/4		
4696/5		
4695/1		
4695/2	0.118	
4695/3		
4695/4		
4694	0.215	
4689	0.105	
4690	0.119	
4691	0.140	
4661	0.371	
4662	0.080	
4663	0.227	
4658	0.041	
4657	0.046	
4656	0.015	
4654	0.198	
3429	0.001	
4700	0.030	
4659	0.001	
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>10.954</u>	
ब—म. प्र. शासन की भूमि		
3310	0.371	
2348/4806	0.121	
2397	0.065	
4759	0.005	
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.562</u>	
अ + ब का योग . .	<u>11.516</u>	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		
		पत्र क्र. 61-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—
		अनुसूची
		(1) भूमि का वर्णन—
		(क) जिला—सतना
		(ख) तहसील—अमरपाटन
		(ग) ग्राम—बेला
		(घ) लगभग क्षेत्रफल —6.961 हेक्टेयर.
		खसरा नं. अर्जित रकबा
		(हे. में)
		(1) (2)
		(अ) निजी पट्टे की भूमि
		1 0.629
		2 0.006
		3 0.185
		4 0.367
		5 0.019
		6 0.062
		7 0.108
		8 0.016
		9 0.189
		10 0.015
		11 0.144
		27/1/1/1
		27/1/1/2
		27/1/2 0.343
		27/1/3
		27/2
		23/1 0.085
		23/2
		39/1/क
		39/1/ख
		39/1/ग 0.292
		39/1/घ

(1)	(2)	(1)	(2)
39/2/1		313/1/क/झ/2	
39/2/2		313/1/क/ञ/1	
39/3		313/1/क/ञ/2	
39/4		313/1/क/ट	
40/1/क/1		313/1/क/ठ	
40/1/क/2		313/1/क/ड	
40/1/क/3		313/1/क/ढ/1	
40/1/क/4/1		313/1/क/ढ/2	
40/1/क/4/2	0.234	313/1/क/ण	
40/1/क/5		313/1/क/त/1	
40/1/ख/1		313/1/क/त/2	
40/1/ख/2		313/1/क/त/3	
40/1/ग		313/1/ख/क/1	
40/1/घ		313/1/ख/क/2	
40/2		313/1/ख/ख/1	
316/1/क		313/1/ख/ख/2	
316/1/ख		313/2/1	
316/1/ग		313/2/2	
316/1/घ		305/1	0.228
316/1/ङ/1		305/2	
316/1/ङ/2	0.642	303	0.259
316/1/च		298/1/क	
316/2/1		298/1/ख/1	
316/2/2		298/1/ख/1	0.199
316/3		298/1/ख/2	
316/4		298/1/ग/3	
319	0.095	298/2	
320	0.020	297/1	
321	0.048	297/2/क	0.018
313/1/क/1/1		297/2/ख	
313/1/क/1/2		299/1/क	
313/1/क/1/छ/1		299/1/ख/1	
313/1/क/2		299/1/ख/2	0.041
313/1/क/क		299/1/ख/3	
313/1/क/ख		299/2	
313/1/क/ग	0.103	296/1/क	
313/1/क/घ		296/1/ख/1	
313/1/क/ङ/1		296/1/ख/2	0.033
313/1/क/ङ/2		296/2/क	
313/1/क/च/1		296/2/ख	
313/1/क/च/2		293	0.060
313/1/क/छ/2		294	0.074
313/1/क/ज		292/1	0.014
313/1/क/झ/1		292/2	
		291/1	0.216
		291/2	

(1)	(2)	(1)	(2)
287/1	0.015	208	0.236
287/2		207	0.026
288/1	0.133	168/1	0.173
288/2		168/2	
286/1	0.031	268/1	0.002
286/2		268/2	
277	0.061	272	0.002
276	0.095	26	0.039
278/1	0.035	28/1/1	
278/2		28/1/2	0.001
265/1	0.034	28/2	
265/2		28/3	
267/1	0.011	318/1	0.003
267/2		318/2	
266/1	0.246	307/1	
266/2		307/2/क	0.003
251	0.066	307/2/ख	
252	0.028	221/1/क	
254/1	0.069	221/1/ख	
254/2		221/1/ग	0.060
249/1	0.032	221/2	
249/2		221/3	
245	0.016	167/1	0.040
248	0.026	167/2	
243	0.039	169	0.003
244/1			
244/2	0.036		
246	0.049		
227/1			
227/2/क	0.145		
227/2/ख			
226/1/क			
226/1/ख	0.228		
226/2			
225/1/क			
225/1ख	0.023		
225/2			
224/1/क	0.002		
224/1/ख			
224/2/क			
224/2/ख			
222	0.111		
209/1			
209/2/क	0.014		
209/2/ख			
		अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>6.877</u>
		ब—म. प्र. शासन की भूमि	
		212	0.036
		211	0.022
		210	0.026
		ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.084</u>
		अ + ब का योग . .	<u>6.961</u>
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.	

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

प्र. क्र. 6-अ-82-2012-13.—शुद्धिपत्र.—श्यामपहाड़ी लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम जौनियां, तहसील इन्दरगढ़, जिला दतिया की निजी भूमि का अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में 12 जुलाई 2013 को एवं समाचार-पत्र श्रम साधना ग्वालियर में दिनांक 8 जुलाई 2013 को एवं दतिया प्रकाश में दिनांक 7 जुलाई 2013 को (जी. नं. 16518/13) को हुआ था.

उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

अनुसूची

स. क्र.	प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि	सही संशोधित प्रविष्टि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	म. प्र. राजपत्र भाग-1 दिनांक 12-7-2013	1.30 है.	3.05 है.
2	श्रम साधना ग्वालियर दिनांक 8-7-2013	1.30 है.	3.05 है.
3	दतिया प्रकाश दिनांक में 7-7-2013	1.30 है.	3.05 है.

उक्त अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 1.30 है. के स्थान पर 3.05 है. होगा.

दतिया, दिनांक 8 दिसम्बर 2014

प्र. क्र. 2-अ 82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित रकबा की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि
(क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—दतिया

- (ग) ग्राम—भागोर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल—10.63 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
115	0.01
917	0.17
1851	0.01
116	0.10
119	0.18
122	0.24
123	0.11
392	0.32
379	0.15
380	0.20
383	0.05
381	0.08
382	0.09
368	0.23
343	0.06
369	0.09
358	0.21
431	0.02
357	0.23
351	0.12
435	0.02
348	0.16
349	0.06
350	0.02
338	0.11
339	0.18
341	0.26
1058	0.01
1026	0.01
1025	0.09
1015	0.21
647	0.07
648	0.09
649	0.06
1016/1, 1016/2	0.18
1018	0.01
646	0.01
945	0.23
916	0.08
908	0.22

(1)	(2)	(1)	(2)
707	0.18	1925	0.57
708	0.13	2063	0.11
703	0.01	2064	0.44
709	0.06	2029	0.01
698	0.10	2028	0.02
699	0.02	2027	0.03
697	0.01	2026	0.06
384	0.02	2025	0.08
883/1, 883/2	0.23	2024	0.08
885	0.17	2023	0.03
891	0.02	कुल योग . . . 10.63	
892	0.16		
893	0.24	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—खर्चाघाट मध्यम सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.	
895	0.02	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देख सकते हैं.	
896	0.01	दतिया, दिनांक 22 दिसम्बर 2014	
909	0.07	प्र. क्र. 1-अ 82-2013-14.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
910	0.07	अनुसूची	
912	0.19	(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि	
915	0.04	(क) जिला—दतिया	
1855	0.18	(ख) तहसील—दतिया	
1864	0.15	(ग) ग्राम—रावतपुरा	
1866	0.13	(घ) अर्जित क्षेत्रफल—3.35 हेक्टर.	
1853/1	0.38	सर्वे	
1853/2		नं.	
1853/3		(1)	
1853/मिन-1		(2)	
1865/1, 1865/2	0.20	308	0.03
2021	0.14	303	0.02
1873	0.01	305	0.01
1879, 1879/2	0.13	298	0.02
1882/1, 1882/2	0.10	300/1, 300/2	0.14
1874/क, 1874/मि-1	0.05	310	0.09
1874/मि-2		311	0.09
1876	0.06	257	0.03
1875/ख, 1875/मि-1,	0.06	251	0.07
1875/मि-2			
1878/1, 1878/मि-1	0.04		
1880	0.07		
1881	0.08		
1905	0.32		
1928	0.44		
1923	0.02		
645	0.03		
1059	0.02		
2061	0.04		
1924/1, 1924/2	0.05		

(1)	(2)
253	0.03
301/1, 301/2, 301/3	0.02
247	0.19
248	0.01
249	0.05
42	0.01
176	0.07
195	0.01
196	0.03
175	0.07
126	0.03
125	0.04
124	0.01
41	0.04
35	0.24
55	0.15
30	0.21
23	0.15
24	0.02
22	0.04
21	0.06
19	0.09
20	0.01
62	0.21
70	0.05
72	0.16
73	0.15
306	0.05
177	0.04
302/1, 302/2	0.15
289/1, 289/2, 289/3	0.25
258/2	0.08
158	0.03
184	0.08
178	0.02
कुल योग . . .	<u>3.35</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—खर्गाघाट मध्यम सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री राजघाट डिस्ट्रिक्टरी संभाग क्र.-9 दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—दतिया
 (ख) तहसील—दतिया
 (ग) ग्राम—अगोरा
 (घ) अर्जित क्षेत्रफल—5.47 हेक्टर.

सर्वे नं. (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
643	0.07
639	0.08
637	0.09
671	0.07
636	0.08
685	0.16
662/1	0.05
660	0.20
659	0.04
794	0.14
795	0.10
793	0.04
796	0.15
664	0.06
665	0.11
666	0.01
667	0.11
668	0.02
694	0.05
789	0.04
804	0.22
802	0.02
809	0.09
810	0.09
808	0.02
812	0.03
811	0.06
813	0.08

(1)	(2)
815	0.10
814	0.10
821	0.01
816	0.02
818	0.02
819	0.36
863/1	0.13
863/2	0.23
865	0.02
935	0.08
886	0.10
888	0.03
936/1	0.09
936/2	0.07
937	0.01
896	0.25
897	0.15
900	0.10
670	0.11
687	0.13
803	0.03
862	0.13
695	0.01
864	0.06
887	0.08
898	0.02
644	0.14
638	0.15
636	0.02
825	0.01
876/2	0.02
891	0.01
899	0.07
903	0.01
790	0.17
791	0.01
797	0.01
663	0.12
कुल योग . .	<u>5.47</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—खर्गाघाट मध्यम सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री राजघाट डिस्ट्रिक्टरी संभाग क्र.-9 दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दतिया, दिनांक 10 दिसम्बर 2014

प्र. क्र. 4-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—दतिया
 (ख) तहसील—दतिया
 (ग) ग्राम—दुर्गापुर
 (घ) अर्जित क्षेत्रफल—3.76 हेक्टर.

सर्वे नं. (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
640	0.02
647	0.15
648	0.03
650	0.10
657	0.02
655	0.04
654	0.02
653	0.09
651	0.03
656	0.01
652	0.03
669	0.05
683	0.10
670	0.04
682	0.06
681	0.05
686	0.14
684	0.03
668	0.06
712	0.04
713	0.11
715	0.10
714	0.10
723	0.12

(1)	(2)	(ग) ग्राम—बाजनी	(घ) अर्जित क्षेत्रफल—1.06 हेक्टर.
731	0.10	सर्वे	रकबा
732	0.05	नं.	(हेक्टर में)
733/2	0.12	(1)	(2)
734	0.04	494	0.08
779	0.13	520	0.01
781	0.03	521	0.04
782	0.06	522	0.04
778	0.05	532	0.04
737	0.04	533	0.06
738	0.08	534	0.14
740	0.19	536	0.02
777	0.02	542	0.03
783	0.01	543	0.02
784	0.04	544	0.09
807	0.10	545	0.49
812	0.30	कुल योग . . . 1.06	
816	0.03		
823	0.16		
839	0.08		
840	0.21		
821	0.04		
822	0.10		
838	0.09		
820	0.01		
837	0.05		
844	0.02		
845	0.07		

कुल योग . . . 3.76

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—खर्चाघाट मध्यम सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देख सकते हैं.

दतिया, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

प्र. क्र. 5-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि
- (क) जिला—दतिया
- (ख) तहसील—दतिया

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—खर्चाघाट मध्यम सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र.-9 दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—दतिया
- (ख) तहसील—दतिया
- (ग) ग्राम—दीवान की रूद्र
- (घ) अर्जित क्षेत्रफल—1.87 हेक्टर.

सर्वे	रकबा
नं.	(हेक्टर में)
(1)	(2)
247	0.01
249	0.01

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—दतिया

(ख) तहसील—दतिया

(ग) ग्राम—डगरई

(घ) अर्जित क्षेत्रफल—1.66 हेक्टर.

(1)	(2)
250	0.03
252	0.08
253	0.19
255	0.08
256	0.06
261	0.10
262	0.01
263	0.08
264	0.13
270	0.10
271	0.04
272	0.14
274	0.06
275	0.11
277	0.13
278	0.05
357	0.01
358	0.21
360	0.10
361	0.04
363	0.09
367	0.01
कुल योग . .	<u>1.87</u>

सर्वे नं. (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
263	0.10
342	0.02
354/1	0.20
361/1	0.03
376/1	0.22
339/1	0.06
347	0.12
354/2	0.03
361/2	0.19
339/2	0.06
350	0.12
359	0.10
362/2	0.11
340	0.19
351	0.05
360	0.04
375	0.02
कुल योग . .	<u>1.66</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—खर्चाघाट मध्यम सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र.-9 दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दतिया, दिनांक 2 जनवरी 2015

प्र. क्र. 7-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—खर्चाघाट मध्यम सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र.-9 दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रकाश जांगरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 22nd December 2014

No.1487-Confdl.-2014-II-3-1-2014.—The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting two weeks Refresher Course/ Supporting Training for Civil Judges CLass-II from 5th January to 16th January 2015 in the Academy. Civil Judges, whose names and postings figure in the endorsement, are directed to attend the aforesaid course.

Conditions for the course :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the training shall not pray for adjustment.
2. The participants shall report by 10.00 a.m. on the first day of the training in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy Building, Jabalpur.
3. The participants shall appear for the training in prescribed uniform (i.e. black coat, white shirt, grey trousers and black tie) during entire duration of the training. The lady Judicial Officers may be directed to wear white saree and blouse with black coat.
4. The participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software CDs. provided by the High Court.
5. The participants shall send 5 Judgments each of Conviction and Acquittal in contested Criminal Cases well in advance so that they reach the Academy latest by 29-12-2014.
6. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
7. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging, boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Academy. The Academy shall make arrangement for their conveyance on the Railway Station to Academy.

The Participants may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam, A. G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, Care Taker on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A. G. II on Mobile No. 08878747939 at least a day in

advance, so that proper arrangement for their reception may be made. It may, however, be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participant's luggage to the parked vehicle.

8. The Guest House of the Academy is located on the second and third floors of the MPSJA building. At present the lift is not functional. The participants are with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choice. In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D. A. as per rules, However, it would not be possible for the Academy to make arrangements for pick up from and drop back to such place.
9. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participant only from 3.00 p.m. onwards on the preceding day of commencement of training and upto 10.00 a. m. on the succeeding day of the end of training.
10. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during the period of stay for the training, free of charge.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
VED PRAKASH, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2014

क्र. 1497-गोपनीय-2014-दो-3-111-2014.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश कुमारी ज्योति डोंगरे, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, महेश्वर जिला मण्डलेश्वर का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन "श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा" पत्नी श्री बलवीर शर्मा करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2014

क्र. B-5097-दो-3-53-2005.—श्री कपिल मेहता, ओ.एस.डी. मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 4 से 12 दिसम्बर 2014 तक नौ दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 13 दिसम्बर 2014 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री कपिल मेहता, ओ.एस.डी., मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कपिल मेहता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-5108-दो-3-130-2009.—श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी/ एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 15 से 24 दिसम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 दिसम्बर 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 25 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी/ एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी/ एडीशनल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

क्र. B-5020-दो-2-5-2013.—श्री गजेन्द्र सिंह, संकाय सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 3 से 7 जनवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 से 2 जनवरी 2015 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री गजेन्द्र सिंह संकाय सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गजेन्द्र सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय संकाय सदस्य के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2014

क्र. 1485-गोपनीय-2014-दो-2-10-62 (भाग-आठ).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला न्यायाधीशों (प्रवेश स्तर) उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित रिक्त पदों पर जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) (Selection Grade Scale) के वेतनमान रुपये 57700—1230—58930—1380—67210—1540—70290/- में नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	चयन ग्रेड वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	रिक्त पद के संबंध में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डॉ. सुभाष कुमार जैन	6-3-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
2	श्रीमती अनुराधा शुक्ला	18-6-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
3	श्री संजीव सुधाकर कालगांवकर	18-6-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
4	श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया	18-6-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
5	श्री अमनीश कुमार वर्मा	18-6-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.

(1)	(2)	(3)	(4)
6	श्री प्रेम नारायण सिंह	18-6-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
7	श्री अचल कुमार पालीवाल	18-6-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
8	श्री श्यामाचरण उपाध्याय	18-6-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
9	श्री हृदेश	18-6-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
10	श्री अवनिन्द्र कुमार सिंह	18-6-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
11	श्री गोपाल श्रीवास्तव	18-6-2012	श्री अवनिन्द्र कुमार सिंह, चयन ग्रेड धारक के एक्स केडर पद पर पदस्थ होने से हुए रिक्त पद पर.
12	श्री अखिलेश जोशी	25-6-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
13	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त	25-6-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
14	श्री प्रेम कुमार सिन्हा	25-6-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
15	श्री गुनवंत सिंह सलूजा	25-6-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
16	श्री अरूण कुमार सिंह (सीनियर)	25-6-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
17	श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह	1-7-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
18	श्रीमती गिरि बाला सिंह	1-7-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
19	श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल	1-7-2012	श्रीमती गिरि बाला सिंह, चयन ग्रेड धारक के प्रतिनियुक्ति पर होने से हुए रिक्त पद पर.
20	श्री राम कुमार चौबे	1-7-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
21	श्री बिनोद कुमार द्विवेदी	7-8-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
22	श्री राम लाल यादव	19-10-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
23	श्री देव नारायण मिश्रा	19-10-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
24	श्री रूचिर शर्मा	19-10-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
25	श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह	16-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
26	श्री योगेश कुमार गुप्ता	16-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
27	श्रीमती आशा गोधा	16-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
28	श्री अनिल कुमार भाटिया	16-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
29	डॉ. विजय कुमार अग्रवाल	16-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
30	श्री योगेश चन्द्र गुप्त	16-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
31	श्रीमती इन्द्रा सिंह	16-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
32	श्री बिनोद कुमार दुबे (जूनियर) (सेवानिवृत्त दिनांक 31-7-2014)	16-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
33	श्री नवीन कुमार सक्सेना	16-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.

(1)	(2)	(3)	(4)
34	श्री राजेश कुमार गुप्ता	16-6-2013	श्री नवीन कुमार सक्सेना, चयन ग्रेड धारक के प्रतिनियुक्ति पर होने से हुए रिक्त पद पर.
35	श्री सुबोध कुमार जैन	16-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
36	श्री अफसर जावेद खान	16-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
37	श्री प्रताप कुमार तिवारी	16-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
38	श्री विनोद कुमार	16-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
39	श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	16-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
40	श्री कृष्णकांत शर्मा	16-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
41	श्री सुरेश रणदिवे	16-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
42	श्रीमती सुरभि मिश्रा	16-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
43	श्री अरूण कुमार वर्मा	16-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
44	श्री पवन कुमार शर्मा	16-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
45	श्री अजय प्रकाश मिश्र	16-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
46	श्री उमेश कुमार गुप्ता	16-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
47	श्री पंकज गौड़	16-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
48	श्री अशोक कुमार गोयनार	16-6-2013	श्री पंकज गौड़, चयन ग्रेड धारक के प्रतिनियुक्ति पर होने से हुए रिक्त पद पर.
49	श्री ओंकार नाथ	16-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
50	श्री आलोक अवस्थी	16-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
51	श्री मुंशी सिंह चन्द्रावत	30-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
52	श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन	30-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
53	श्री भगवती प्रसाद शर्मा	30-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
54	श्री प्रदीप मित्तल	30-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
55	श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (सीनियर)	30-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
56	श्रीमती रेणुका कंचन	30-6-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
57	श्री देवराज बोहरे	24-7-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
58	श्री दीपक कुमार त्रिपाठी	24-7-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
59	श्रीमती रश्मि अग्रवाल	24-7-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
60	श्री नवनीत कुमार गोधा	24-7-2013	श्रीमती रश्मि अग्रवाल, चयन ग्रेड धारक के प्रतिनियुक्ति पर होने से हुए रिक्त पद पर.
61	श्री सभापति यादव	24-7-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.

(1)	(2)	(3)	(4)
62	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (जूनियर)	24-7-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
63	श्रीमती सविता दुबे	24-7-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
64	श्री उपेन्द्र कुमार सिंह	24-7-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
65	श्री हरि शरण यादव	24-7-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
66	डॉ. ओम प्रकाश तिवारी	24-7-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
67	श्री महेश चन्द्र सोनी	24-7-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
68	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव	24-7-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
69	श्री ब्रम्ह शंकर दीक्षित	24-7-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
70	श्री श्याम बिहारी वर्मा	24-7-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
71	श्री रमा शंकर शर्मा	1-8-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
72	श्री रामानंद चन्द	1-9-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
73	श्री योगेश दत्त (शुक्ला)	24-9-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
74	श्री महेश कुमार शर्मा	18-10-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
75	श्री भरत सिंह जमरा	21-10-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
76	श्री अजय कुमार गर्ग	1-11-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
77	श्री शिव चरण पाण्डेय	1-11-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
78	श्री राकेश श्रोत्रिय	1-1-2014	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
79	श्री अनिल कुमार गुप्ता	1-4-2014	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
80	श्री अमिताभ मिश्र	4-4-2014	श्री महेश चन्द्र सोनी, चयन ग्रेड धारक के एक्स केडर पद पर पदस्थ होने से हुए रिक्त पद पर.
81	श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल	4-4-2014	श्री अमिताभ मिश्र, चयन ग्रेड धारक के प्रतिनियुक्ति पर होने से हुए रिक्त पद पर.
82	श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर	15-4-2014	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
83	श्री यशवंत सिंह परमार	28-5-2014	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
84	श्री जोसेफ माईकल राव	1-6-2014	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
85	श्री जशरथ राज बच्चन	1-6-2014	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
86	श्री विजय मालवीय	1-7-2014	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
87	श्री सनत कुमार कश्यप	1-7-2014	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
88	श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा	1-8-2014	श्री विनोद कुमार दुबे (जूनियर) चयन ग्रेड धारक के दिनांक 31-7-2014 को सेवानिवृत्त होने से हुए रिक्त पद पर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2014

क्र. D-6758-तीन-10-42-75 (छतरपुर-बिजावर-बकस्वाहा).— मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री धीरज कुमार, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, बिजावर अपने घोषित कार्यस्थल बिजावर के अतिरिक्त बकस्वाहा में भी प्रत्येक माह में 15 (पन्द्रह) दिवस, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. D-6758-III-10-42-75 (Chhatarpur-Bijawar-Bakswaha).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Dheeraj Kumar, IIIrd CJ-II, in addition to his place of sitting declared at Bijawar, shall also sit at Bakswaha for 15 (Fifteen) days in each month, for holding of Link Court there.

क्र. D-6760-तीन-10-42-75 (मण्डला-भुआ बिछिया).— मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री रूपेन्द्र सिंह माडवी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, मण्डला अपने घोषित कार्यस्थल मण्डला के अतिरिक्त भुआ बिछिया में भी प्रत्येक माह में 15 (पन्द्रह) दिवस, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. D-6760-III-10-42-75 (Mandla-Bhua Bichhiya).— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Rupendra Singh Madavi Ist CJ-II, in addition to his place of sitting declared at Mandla, shall also sit at Bhua Bichhiya for 15 (Fifteen) days in each month, for holding of Link Court there.

क्र. D-6762-तीन-10-42-75 (नरसिंहपुर-गाडरवारा-तेंदूखेड़ा).— मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री सुरेश कुमार शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, गाडरवारा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश अपने घोषित कार्यस्थल गाडरवारा

के अतिरिक्त तेन्दूखेड़ा में भी प्रत्येक माह में 15 (पन्द्रह) दिवस, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. D-6762-III-10-42-75 (Narsinghpur-Gadarwara-Tendukhera).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Suresh Kumar Sharma, AJ to Ist CJ-II, in addition to his place of sitting declared at Gadarwara, shall also sit at Tendukhera for 15 (Fifteen) days in each month, for holding of Link Court there.

क्र. D-6764-तीन-10-42-75 (छतरपुर-लौंडी).— मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री राम गोपाल सिंह, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर अपने घोषित कार्यस्थल छतरपुर के अतिरिक्त लौंडी में भी प्रत्येक माह में 15 (पन्द्रह) दिवस, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. D-6764-III-10-42-75 (Chhatarpur-Laundi).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Ram Gopal Singh, IIIrd Addl. Distt. & Session Judge, Chhatarpur in addition to his place of sitting declared at Chhatarpur, shall also sit at Laundi for 15 (Fifteen) days in each month, for holding of Link Court there.

Jabalpur, the 22nd December 2014

No.C-7045-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri G. S. Dubey, Presiding Officer of the Court of Special Judge, SC/ST (POA) Act E.N. Khandwa for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto, of the District Headquarter E. N. Khandwa.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
विवेक सक्सेना, ओ.एस.डी. (डी.ई.).